<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील/एलआर/4177/2002/दौसा
रामस्वरूप बनाम रामरतन</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

<u>**उपस्थित**</u>
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री खुर्शीद अनवर, उप राजजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी

<u>**निर्णय**</u>

दिनांक 28.06.2018

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-07-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी को ग्राम गारदवाडा स्थित आराजी खसरा नम्बर 999 रकबा 0.68 हैक्टयर में से 1/2 भाग अर्थात् 0.34हैक्टयर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 3-6-1999 को आवंटित की। इस आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या-1 ने अतिरिक्त जिला कलक्टार, दौसा के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14(4) का प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30-06-2001 से स्वीकार कर आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20-07-2002 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की

</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4177/2002/दौसा रामस्वरूप बनाम रामरतन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गयी है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी भूमिहीन व्यक्ति है, जिसे आवंटन नियमों के तहत विवादित आराजी का आवंटन किया गया तथा अपीलार्थी आावंटित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उनका कथन है कि विवादित भूमि नाला नहीं है तथा इसकी किस्म तब्दीक की जाकर प्रार्थी को आवंटित की गयी थी, जिस पर अपीलार्थी ने काफी पैसा खर्च कर काबिल काश्त बनाया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष में हुए आवंटन आदेश को बहाल रखा जावे। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन तलाई होने से आवंटन योग्य नहीं थी। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा गैर मुमकिन तलाई की भूमि का आवंटन अपीलार्थी के पक्ष में किया, जो प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में खारिज किये जाने येाग्य था। उनका कथन है कि अपीलार्थी भूमिहीन कृषक भी नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4177/2002/दौसा रामस्वरूप बनाम रामरतन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को ग्राम गारदवाडा स्थित आराजी खसरा नम्बर 999 रकबा 0.68 हैक्टयर में से 1/2 भाग अर्थात् 0.34हैक्टयर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 3-6-1999 को आवंटित की। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजी के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में धारित भूमि का विवरण अंकित नहीं किया गया तथा उसके द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए विवादित आराजी का आवंटन करवाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के धारण में 1.84हैक्टयर चाही एवं 0.38हैक्टयर बारानी भूमि है। अपीलार्थी ने भूमिहीन होने के आधार पर विवादित आराजी का आवंटन करवाया जबकि अपीलार्थी के पास पूर्व से ही भूमि उपलब्ध थी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने विवादित आराजी का आवंटन तथ्यों को छिपाते हुए करवाया गया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई होने से आवंटन योग्य नहीं थी। उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4177/2002/दौसा रामस्वरूप बनाम रामरतन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	